



राजस्थान सरकार

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

विज्ञान नगर आवसीय योजना के सामने, ग्राम लोरड़ी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)-342037

(गृह विभाग, राजस्थान सरकार)

E-mail :- registrar@policeuniversity.ac.in, Website :- www.policeuniversity.ac.in



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियों एक वेदर
दुनिया का निर्माण करती है

क्रमांक: एफ.3(84)एसपीयूपी / 2017 / लेखा / एफसी / 2583

दिनांक 27 सितम्बर 2025

// वित्त समिति की तृतीय बैठक कार्यवाही विवरण //

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर की तृतीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 सितम्बर 2025 को दोपहर 12.30 बजे माननीय कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

- | | |
|---|---------|
| 1. डॉ. आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलगुरु महोदय | अध्यक्ष |
| सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर | |
| 2. श्री महेन्द्र कुमार खींची, संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-11) विभाग | सदस्य |
| (प्रतिनिधि-अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर) | |
| ऑनलाईन भाग लिया। | |
| 3. श्री समीर शर्मा, O.S.D. उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| (प्रतिनिधि-प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर) | |
| ऑनलाईन भाग लिया। | |
| 4. डॉ० ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर | सदस्य |
| (विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य) | |
| 5. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी, शहर, जोधपुर | सदस्य |
| (प्रतिनिधि-अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर) | |
| 6. डॉ० मिनाक्षी पूनियां, सहायक आचार्य, | सदस्य |
| सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर | |
| (विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य) | |
| 7. श्री ओमप्रकाश गाड़ोदिया, वित्त नियंत्रक | सचिव |
| सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर | |

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में भाग लिए गए सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा की जाकर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/1 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।

निर्णय 3/1 – विश्वविद्यालय की द्वितीय वित्त समिति की बैठक के कार्य विवरण पर बिन्दुवार चर्चा की गई। माननीय सदस्यगण डॉ० ए.के. गहलोत द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में पूर्व में किए गए कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन के पश्चात् पृथक से अनुमोदन के संबंध में आदेश जारी किया जावे जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

माननीय सदस्यगण श्री दिनेश कुमार बारहठ ने बताया कि निर्णय संख्या 2/15 में नवीन कम्प्यूटर्स के संबंध में तकमीना आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया, नवीन कम्प्यूटर्स वर्ष 2022 में क्रय कर लिये गये परन्तु तकमीना संलग्न नहीं है।

अतः क्रय किये गये नवीन कम्प्यूटर्स की प्रबन्ध मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करे। जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया।

वित्त समिति द्वारा अन्य बिन्दुओं से संबंधित कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/2 विश्वविद्यालय की राजकीय निधि एवं छात्र निधि कोष से गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में प्राप्त तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्तियों का विवरण।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में गत वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में प्राप्त तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 राज्य निधि से प्राप्त अनुदान एवं छात्रनिधि से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है-

(अ) विश्वविद्यालय के निजी निक्षेप खाता संख्या-5749 में राज्य सरकार से प्राप्त निधियों का विवरण:-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	गैर-संवैतन	संवैतन	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	योग
1.	2021-22	85.00	520.00	170.00	775.00
2.	2022-23	77.00	570.00	0.00	647.00
3.	2023-24	84.00	634.00	0.00	718.00
4.	2024-25	95.00	625.00	0.00	720.00
5.	2025-26 (बीएफसी में अनुमोदित अनुदान राशि)	100.00	610.00	0.00	710.00

(ब) विश्वविद्यालय की छात्रनिधि कोष में प्राप्त राशियों का विवरण :-

(राशि लाखों में)

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	राशि रु.
1.	2021-2022	119.56
2.	2022-2023	163.30
3.	2023-2024	273.35
4.	2024-2025	166.05
5.	2025-2026 (अनुमानित)	140.01

निर्णय 3/2 - वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की राजकीय निधि एवं छात्र निधि कोष से गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में प्राप्त तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्तियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। सदस्यगण डॉ० ए.के. गहलोत द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार से गैर संवेतन मद में आगामी बीएफसी बैठक में अधिक राशि का प्रस्ताव प्रेषित करे, जिसका समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया।

वित्त समिति द्वारा अन्य प्राप्तियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/3 विश्वविद्यालय के राज्य निधि एवं छात्र निधि कोष से वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में हुए वास्तविक व्यय का विवरण।

(अ). सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में गत वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में हुए वास्तविक व्ययों का मदवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	गैर-संवेतन	संवेतन			पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	महायोग
			गैर-शैक्षणिक	शैक्षणिक	कुल संवेतन पर व्यय राशि रु		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8(3+6+7)
1.	2021-22	83.27	253.77	201.74	455.51	50.00	588.78
2.	2022-23	77.00	214.77	205.15	419.92	24.72	521.64
3.	2023-24	84.00	225.63	274.06	500.23	0.00	584.23
4.	2024-25	77.85	257.18	229.38	486.56	0.00	564.41

(ब). सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के छात्रनिधि कोष में गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशियों के विरुद्ध हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण—

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1.	मानव संसाधन आपूर्ति के लिए प्लेसमेन्ट एजेन्सी का किया गया भुगतान	10.87	9.65	12.26	12.84
2.	फीस रिफण्ड	12.93	27.80	20.63	23.64
3.	यात्रा व्यय	0.59	1.55	1.16	1.23
4.	चिकित्सा व्यय	5.41	5.46	7.81	7.09
5.	कार्यालय जलपान सम्बन्धी व्यय	1.85	2.70	1.94	2.35
6.	कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं उपकरणों की मरम्मत पर किया गया व्यय	8.68	12.41	11.55	13.95
7.	एसी मरम्मत पर व्यय	0.67	1.28	1.53	2.25
8.	ELP मानदेय	-	-	1.50	0.48
9.	मोटर वाहन रिपेयरिंग एवं बीमा व्यय	4.78	6.08	7.84	9.62
10.	मोटर वाहन में पेट्रोल एवं डीजल व्यय	7.30	8.12	11.10	12.68
11.	बिजली एवं पानी व्यय	12.31	14.46	16.49	18.35
12.	पुस्तकालय व्यय	2.45	1.10	6.88	8.39

निर्णय 3/3 – वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के राज्य निधि एवं छात्र निधि कोष से वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में हुए वास्तविक व्यय पर विचार-विमर्श किया किया, जिसमें सदस्यगण डॉ० ए.के. गहलोत द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा गैर संवेतन मद में आवंटित राशि का अधिकतम उपयोग किया जावे तथा वाहन संधारण एवं एयर कण्डिशनर्स की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर प्रतिवर्ष व्यय राशि में बढोत्तरी हो रही है।

अतः पुराने वाहन एवं एयर कण्डिशनर्स के स्थान पर नवीन वाहन तथा एयर कण्डिशनर्स का क्रय किया जावे। जिसे समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया।

वित्त समिति द्वारा मदवार व्ययों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/4 विश्वविद्यालय द्वारा कोष कार्यालय में संधारित निजी निक्षेप खातों एवं विभिन्न बैंकों में संधारित किये जा रहे बचत/चालू/स्थायी बैंक खातों का विवरण।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के निम्नानुसार विभिन्न निजी निक्षेप खाते एवं बचत/चालू/स्थायी जमा खाते विद्यमान है :-

(अ) कोष कार्यालय ग्रामीण, जोधपुर में निजी निक्षेप खातों का विवरण-

क्र.सं.	निजी निक्षेप खातों का विवरण	31 अगस्त, 2025 को अन्तिम शेष	विशेष विवरण
1.	पीडी खाता संख्या- 5749	3,77,67,608 / -	This PD Account (Non-Interest bearing) is opened for the Govt. Fund and other related transaction purpose
2.	पीडी खाता संख्या- 7018	8,02,89,317 / -	This PD Account (Interest bearing) is opened for accrual of interest.
3.	पीडी खाता संख्या- 19473	85,47,750 / -	This PD account is opened for the payment on retirement benefits.

(ब) विभिन्न बैंक खातों में स्थाई जमा और बैंक खातों का विवरण :-

क्र. सं.	खाता संख्या एवं प्रकार	बैंक का नाम एवं खाता खुलवाने की तिथि	खाता खोलने का उद्देश्य	31 अगस्त 2025 का अन्तिम शेष (मूल राशि रु.)
1.	00593021003971 स्थायी जमा, Coordinator MPE 2013	PNB 11/11/2013	पटवार परीक्षा	2,53,65,941 / - परिपक्व तिथि 26.12.2025 परिपक्व राशि रु. 3,00,96,141 / -
2.	00593021003988 स्थायी जमा, Coordinator MPE 2013	PNB 11.11.2013	पटवार परीक्षा	1,77,35,239 / - परिपक्व तिथि 16.05.2026 परिपक्व राशि रु. 2,04,55,646 / -
3.	00592041002544 बचत खाता Registrar, SPUP	PNB 11.03.2021	छात्र निधि	11,96,406.63
4.	915010012451089 बचत खाता (FCRA)	Axis Bank 08.12.2024	FCRA Purpose	18,07,200.76
5.	016701016365 बचत खाता Registrar, SPUP	ICICI Bank Feb, 2017	University Purpose	3,72,80,159 / -

निर्णय 3/4 - वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कोष कार्यालय में संधारित निजी निक्षेप खातों एवं विभिन्न बैंकों में संधारित किये जा रहे बचत/चालू/स्थायी बैंक खातों एवं उपलब्ध राशि के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। समिति के सदस्यगण डॉ० ए.के. गहलोत द्वारा सुझाव दिया गया कि निजी निक्षेप खाता संख्या 19473 जो सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान के संबंध संधारित किया जा रहा है में भविष्य की देयताओं को मध्यनजर रखते हुए प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय कोष से होने वाली प्राप्तियों में से राशि रु. 50.00 लाख हस्तान्तरित की जावें ताकि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में कठिनाई न हो, जिसका समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

वित्त समिति द्वारा अन्य निजी निक्षेप एवं बैंक खातों तथा उपलब्ध शेष का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/5 विश्वविद्यालय के लेखों की सीए ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का अनुमोदन।

निर्णय 3/5 – वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के लेखों की सीए सीए ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 पर विचार-विमर्श किया। समिति के सदस्यगण श्री दिनेश कुमार बारहठ ने सुझाव दिया कि भविष्य की ऑडिट रिपोर्ट्स में सीए द्वारा स्पष्ट रूप से अवशेषों ईत्यादि पर अभिशंषा सारांश के रूप में अंकित करें कि संस्था के लेखें नियमानुसार हैं या नहीं हैं। जिसका समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

वित्त समिति द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स से संबंधित अन्य बिन्दुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/6 विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा से संबंधित क्रय प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय।

विश्वविद्यालय के लिए नवीन कम्प्यूटर्स, लैपटॉप तथा प्रिन्टर्स ईत्यादि तथा नवीन एयर कण्डिशनर क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1.	विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर प्रयोगशाला, शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कार्मिकों के लिए नवीन कम्प्यूटर्स, लैपटॉप तथा प्रिन्टर्स ईत्यादि क्रय किए जाने का प्रस्ताव।	राशि रु. 60.00 लाख
2.	शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कार्मिकों के कक्षों के लिए 10 नवीन एयर कण्डिशनर क्रय किए जाने का प्रस्ताव।	राशि रु. 5.00 लाख

निर्णय 3/6 – वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा से संबंधित क्रय प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। क्रम संख्या 1 के संबंध में वित्त समिति के सदस्यगण डॉ० मिनाक्षी पूनियां ने सुझाव दिया कि कम्प्यूटर हार्डवेयर के साथ-साथ छात्रों के अध्ययन हेतु सॉफ्टवेयर भी क्रय किये जावें। सदस्यगण डॉ० ए.के. गहलोत द्वारा सुझाव दिया गया कि छात्रों के लिये एक हवी ड्यूटी प्रिन्टर क्रय कर पुस्ताकालय में स्थापित किया जावे एवं पृथक-पृथक प्रिन्टर के स्थान पर विभागवार कॉमन प्रिन्टर क्रय किया जावें। उक्त अतिरिक्त उपापन को मध्यनजर रखते हुए अनुमानित लागत राशि रु. 60.00 लाख के स्थान पर राशि रु. 80.00 लाख का विश्वविद्यालय कोष से नियमानुसार क्रय करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्रम संख्या 2 में प्रस्तावित नवीन एयर कण्डिशनर्स के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय कोष से नियमानुसार क्रय करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/7 विश्वविद्यालय के सम्पदा शाखा से संबंधित निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय

विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्व में स्थापित विद्युत केबल जो भूमिगत है के स्थान पर पोल पर विद्युत लाईन लगवाने का कार्य प्रगतिरत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अकादमिक ब्लॉक में निर्मित भू-तल भवन में कक्षा-कक्षों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण प्रथम तल का निर्माण करवाया जाना है तथा, प्रशासनिक खण्ड व कुलगुरु आवास का निर्माण, Semi Parmanent Fiber Structure, Mobile Sturucture बनाने तथा छात्रावास की मरम्मत एवं अनुरक्षण किए जाने का प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1.	विश्वविद्यालय में भूमिगत विद्युत लाईन के स्थान पर विद्युत पोल पर विद्युत लाईन लगवाने का प्रस्ताव	राशि रु. 23.83 लाख
2.	विश्वविद्यालय के अकादमिक ब्लॉक पर प्रथम तल के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव।	राशि रु. 1300.00 लाख
3.	विश्वविद्यालय का प्रशासनिक खण्ड के निर्माण हेतु।	राशि रु. 2500.00 लाख
4.	माननीय कुलगुरु महोदय के आवास के निर्माण का प्रस्ताव।	राशि रु. 200.00 लाख
5.	Semi Parmanent Fiber Structure से ऑडिटोरियम निर्माण करवाने का प्रस्ताव।	राशि रु. 200.00 लाख
6.	Mobile Sturucture पर शैक्षणिक स्टॉफ के कक्षों, कॉन्फ्रेंस हॉल तथा शोध विद्यार्थियों के लिए कक्षा-कक्षा आदि बनवाने का प्रस्ताव	राशि रु. 150.00 लाख
7.	छात्रावास की मरम्मत एवं अनुरक्षण किए जाने का प्रस्ताव	राशि रु. 150.00 लाख
8.	छात्रावास भवन (Boys) के द्वितीय तल तथा छात्रावास भवन (Girls) के प्रथम तल के निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्ताव	राशि रु. 400.00 लाख

निर्णय 3/7 – वित्त समिति द्वारा निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा प्रस्ताव के क्रम संख्या 1 पर अंकित विद्युत कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा क्रम संख्या, 2, 3, 4 और 8 पर होने वाले अनुमानित व्यय का प्रस्ताव आगामी बीएफसी की बैठक में प्रस्तुत करे तथा राज्य सरकार से राशि का आवंटन होने पर अग्रिम कार्यवाही करे।

क्रम संख्या 5, 6 एवं 7 पर होने वाले अनुमानित व्यय का प्रस्ताव विश्वविद्यालय कोष से किया जावे। वित्त समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/8 विश्वविद्यालय में सीवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हेतु राज्य सरकार से प्राप्त राशि रु. 95.28 लाख लौटाने बाबत

राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सीवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किए जाने हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रु. 100.00 लाख प्राप्त हुए, जिसमें से वर्ष 2022-23 में सीवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किए जाने हेतु राशि रु. 210.51 लाख की डीपीआर एम.बी.एम. विश्वविद्यालय के सिविल

विभाग से प्राप्त हुई। जिसके लिए परामर्श शुल्क राशि रु. 4.72 लाख का भुगतान एम.बी.एम. विश्वविद्यालय को किया गया है। विश्वविद्यालय हेतु तकनीकी अधिकारी (सिविल इंजिनियर) के पद की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त न होने तथा सीवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट में उपयोग किए जाने वाला कचरा की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में स्थापित नहीं किया जा सका। जिसके संबंध में महालेखाकार राजस्थान जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन 2019 से 2023 के अनुच्छेद गठित किया गया है।

अतः समिति के समक्ष सीवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु प्राप्त राशि में से अवशेष रही राशि रु. 95.28 लाख राज्य सरकार को लौटाए जाने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

निर्णय 3/8 – वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय को सीवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से अवशेष राशि रु. 95.28 लाख को लौटाने के संबंध में विचार-विमर्श किया। वित्त समिति द्वारा अवशेष राशि को राज्य सरकार को लौटाए जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/9 विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से नियोजित वाहन चालक एवं अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के संबंध में

निर्णय 3/9 – वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से नियोजित वाहन चालक एवं अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय की शहर से दूरी तथा आवगमन के सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए वाहन चालक का न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमाह 13000/—, शोध सहायक न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमाह 18,000/—, पुस्तकालयाध्यक्ष का न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमाह 25,000/— सर्वसम्मति से नियत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर प्रति कार्य दिवस राशि रु. 100/— की बढ़ोतरी का अनुमोदन किया तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् उक्त बढ़ोतरी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/10 विश्वविद्यालय के छात्रावास के केयर टेकर का अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमोदन करने का प्रस्ताव

निर्णय 3/10 – वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रावास के केयर टेकर का अतिरिक्त पारिश्रमिक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया तथा एजेण्डा बिन्दु संख्या 3/9 के अनुसार केयर टेकर का पारिश्रमिक बढ़ाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/11 विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्यताओं द्वारा ऑनलाईन कक्षाएं अयोजित करने पर इंटरनेट चार्ज व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कर प्रयोग किए जाने पर प्रतिमाह राशि रु. 1000/- का भुगतान किए जाने संबंधी आदेश का अनुमोदन।

निर्णय 3/11- वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्यताओं द्वारा ऑनलाईन कक्षाएं अयोजित करने पर इंटरनेट चार्ज व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कर प्रयोग किए जाने पर प्रतिमाह राशि रु. 1000/- का भुगतान के संबंध में विचार-विमर्श किया एवं पूर्व में जारी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भविष्य में भी भुगतान किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/12 विश्वविद्यालय द्वारा कारागार भर्ती परीक्षा 2018 के आयोजन पर हुए व्यय के पश्चात् अवशेष राशि राज्य सरकार को लौटाने के संबंध में।

निर्णय 3/12- वित्त समिति द्वारा कारागार भर्ती परीक्षा 2018 के आयोजन पर हुए व्यय के पश्चात् अवशेष राशि राज्य सरकार को लौटाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। आक्षेप में उल्लेखित आदेश वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी किया गया जो कारागार भर्ती परीक्षा 2018 के एमओयू के पश्चात् का है जिसके कारण यह लागू नहीं होता है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस एजेण्डा बिन्दु संख्या 3/12 पर विचारण नहीं करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/13 विश्वविद्यालय के छात्रावास अधीक्षक को भुगतान किए गए वार्डन भत्ता के अनुमोदन के संबंध में।

विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक द्वारा परिसर में निवास नहीं करने के कारण छात्रावास अधीक्षक तथा सह छात्रावास अधीक्षक को परिसर में रहने पर राशि रु. 15000/- प्रतिमाह का वार्डन भत्ता भुगतान किया जाता है, जो प्रबन्ध मण्डल की 14वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 14/2 पर अनुमोदित है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020 से 2023 में भुगतान की गई वार्डन भत्ता राशि रु. 3,34,145/- का अनुच्छेद गठित किया है तथा वित्त समिति से वार्डन भत्ता राशि के अनुमोदन हेतु सुझाव दिया है।

अतः समिति के समक्ष भुगतान की गई वार्डन भत्ता राशि रु. 3,34,145/- तथा राशि रु. 15000/- प्रतिमाह का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

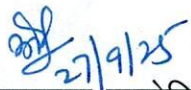
निर्णय 3/13- वित्त समिति द्वारा छात्रावास अधीक्षक को किये गये वार्डन भत्ते पर विचार-विमर्श किया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त प्रस्ताव पूर्व में ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित है। अतः वित्त समिति द्वारा इस पर अब निर्णय लिया जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय को नोटेड किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 3/14 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

प्रस्ताव- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्यगण डॉ० मिनाक्षी पूनिया द्वारा यह प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में छात्रों के संबंध में विभिन्न जानकारियों हेतु अपग्रेडेशन की आवश्यकता है।

निर्णय 3/14- समिति के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अपग्रेडेशन नवीन तकनीकी को ध्यान में रखते हुए होना अति आवश्यक है। जिस पर अनुमानित लागत राशि रु. 15.00 लाख का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

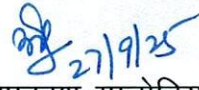
अंत में माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।


(ओमप्रकाश गाड़ोदिया)

सरदार पटेल पुलिस,
सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय,
जोधपुर

क्रमांक: एफ.3(84)एसपीयूपी/2017/लेखा/एफसी/2584-94 दिनांक : 27 सितम्बर 2025
प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलगुरु महोदय, एसपीयूपी, जोधपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. डॉ० ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर।
6. श्री महेन्द्र कुमार खींची, संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-11) विभाग, राज० जयपुर।
7. कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर।
8. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर।
9. श्री समीर शर्मा, O.S.D. उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. डॉ० मिनाक्षी पूनियां, एसपीयूपी, जोधपुर।
11. डॉ० अभिषेक शर्मा, एसपीयूपी, जोधपुर।


(ओमप्रकाश गाड़ोदिया)

सरदार पटेल पुलिस,
सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय,
जोधपुर